रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 289] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, फरवरी 5, 2015/माघ 16, 1936
No. 289] NEW DELHI, THURSDAY, FEBRUARY 5, 2015/MAGHA 16, 1936

वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)
अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 फरवरी, 2015

का.आ. 376 (अ).—जबकि केन्द्र सरकार किसी पदार्थ (प्राकृतिक अथवा कृत्रिम) अथवा प्राकृतिक सामग्री अथवा ऐसे पदार्थ अथवा सामग्री के किसी अम्ल अथवा औषधि मिश्रण के स्वरूप और प्रभाव अथवा दुरुपयोग की गुंजाइश के संबंध में उपलब्ध सूचना और साक्ष्य के आधार पर इस बात से संतुष्ट है कि स्वापक औषधि और मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 (1985 का 61) (जिसे यहां उक्त अधिनियम के रूप में संदर्भित किया गया है) की अनुसूची में विनिर्दिष्ट मन:प्रभावी पदार्थों की सूची में निम्नलिखित पदार्थ अथवा प्राकृतिक सामग्री अथवा ऐसे पदार्थ अथवा सामग्री के अम्ल अथवा औषधि मिश्रण को शामिल करना आवश्यक अथवा समायोचित है;

अव, अत: उपर्युक्त अधिनियम की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार एतदद्वारा, उक्त अधिनियम की अनुसूची में विनिर्दिष्ट मन:प्रभावी पदार्थों की सूची में निम्नलिखित पदार्थ जोड़ती है; अर्थात् :—

उक्त अधिनियम की अनुसूची में क्रम संख्या 110क तथा इससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात, निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियां अत: स्थापित की जाएंगी, अर्थात्:—

क्र.सं.	अंतर्राष्ट्रीय गैर मालिकाना नाम	अन्य गैर मालिकाना नाम	रासायनिक नाम
"110ख	मिफिड्रोन	4- मिथाइल मेथकैथीनॉन (4-एमएमसी) 4-मिथाइल फिड्रोन	(आरएस)-2- मिथाइल एलमिनो-1- (4-मिथाइल फिनाइल) प्रोपैन-1- वन".

[फा.सं. एन-11011/2/2014-एनसी-II (1)]

सत्य नारायण दास, अवर सचिव

नोट : स्वापक औषधि एवं मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 (1985 का 61) की अनुसूची दिनांक 26 अक्तूबर, 1992 के का.आ. 785 (अ), के अंतर्गत संशोधित की गई थी तथा बाद में दिनांक 8 जनवरी, 1993 की का.आ. 49 (अ), दिनांक 12 जनवरी, 1996 की का.आ. 39 (अ), दिनांक 11 जून, 2003 की सा.का. नि. संख्या 621 (अ), दिनांक 02 जनवरी, 2004 की सा.का.नि. 1 (अ) और 10 फरवरी, 2011 की का.का. संख्या 311 (अ) द्वारा संशोधित की गई थी।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 5th February, 2015

S. O. 376 (E).— Whereas, the Central Government is satisfied, on the basis of information and evidence which has become available to it with respect to the nature and effect of, or the scope of abuse of, any substance (natural or synthetic) or natural material or any salt or preparation of such substance or material, that it is necessary or expedient to add the following substance or natural material or salt or preparation of such substance or material in the list of psychotropic substances specified in the Schedule to the Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act, 1985 (61 of 1985) (hereinafter referred to as the said Act);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 3 of the said Act, the Central Government hereby makes the following addition in the list of psychotropic substances specified in the Schedule of the said Act, namely:-

In the Schedule of the said Act, after serial number 110A and the entries relating thereto, the following serial number and the entries shall be inserted, namely:—

S. No.	International Non-proprietary names	Other non-proprietary names	Chemical name
"110B.	MEPHEDRONE	4-methylmethcathinone (4-MMC) 4-methylephedrone	(RS)-2-methylamino-1-(4-methylphenyl) propan-1-one".

[F. No. N-11011/2/2014-NC-II (1)]

SATYA NARAYANA DASH, Under Secy.

Note: The Schedule to the Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act, 1985 (61 of 1985) was amended *vide* S.O. 785(E) dated 26th October, 1992 and subsequently amended by S.O. 49(E) dated 8th January, 1993, S.O. 39(E) dated 12th January, 1996, S.O. 475(E) dated 11th June, 2003, G.S.R. 621(E) dated 1st August, 2003, G.S.R. 1(E) dated 2nd January, 2004 and S. O. 311 (E) dated 10th February, 2011.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 71] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, फरवरी 5, 2015/माघ 16, 1936

No. 71] NEW DELHI, THURSDAY, FEBRUARY 5, 2015/MAGHA 16, 1936

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 फरवरी, 2015

सा.का.नि.74 (अ).—स्वापकऔषधि एवं मन: प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 (1985 का 61) की धारा 76 के साथ पठित धारा 9 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार एतदद्वारा स्वापक औषधि एवं मन:प्रभावी पदार्थ नियमावली, 1985 में और आगे संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियमावली बनाती है, यथा : —

2. (1) इस नियमावली को स्वापक औषधि एवं मन:प्रभावी पदार्थ (संशोधन) नियमावली, 2015 कहा जाएगा।

(2) ये सरकारी राजपत्र में अपने प्रकाशन की तारीख से प्रवर्तित होंगे।

2. स्वापक औषधि एवं मन:प्रभावी पदार्थ नियमावली, 1985 की अनुसूची 1 में उपशीर्ष II, "मन:प्रभावी पदार्थ" के अंतर्गत, मद 4 और उससे संबंधित प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा।

"4	मीफेड्रोन	4-मेथाइलमेथकैथीनोन (4-एमएमसी) 4 मेथाइलफेड्रोन	(आरएस)-2 मेथाइलएमीनो-1-(4- मेथाइलफेनाइल) प्रोपान-1-वन
5.	उपर्युक्त के लवण और विर्निमितियाँ ".		

[फा.सं. एन-11011/2/2014-एनसी-II (2)]

सत्य नारायण दास, अवर सचिव

नोट- प्रधान अधिसूचना को भारत के राजपत्र, असाधारण के, भाग II, खंड 3, उपखण्ड (i) में, सा.का.नि. 837(अ), दिनांक 14 नवम्बर, 1985 के तहत् प्रकाशित किया गया था और तत्पश्चात इसमें अधिसूचना सं. का.आ. 786 (अ), दिनांक 26 अक्तूबर, 1992, का.आ. 599 (अ), दिनांक 10 अगस्त, 1993, सा.का.नि. 748 (अ), दिनांक 14 दिसम्बर, 1993, सा.का.नि. 543, दिनांक 24 अक्तूबर, 1994, सा.का.नि. 82, दिनांक 14 फरवरी, 1995, सा.का.नि. 556 (अ), दिनांक 14 जुलाई, 1995, सा.का.नि. 25 (अ), दिनांक 12 जनवरी, 1996, सा.का.नि. 509 (अ), दिनांक 14 नवम्बर, 1996, सा.का.नि. 350 (अ), दिनांक 25 जून, 1997, सा.का.नि. 214 (अ), दिनांक 19 मार्च, 2002, सा.का.नि. 763 (अ), दिनांक 14 नवम्बर, 2002, सा.का.नि. 115 (अ), दिनांक 21 फरवरी, 2003, सा.का.नि. 129 (अ), दिनांक 26 फरवरी, 2003, सा.का.नि. 217 (अ), दिनांक 17 मार्च, 2003, सा.का.नि. 95 (अ), दिनांक 4 फरवरी, 2004, सा.का.नि. 104 (अ), दिनांक 25 फरवरी, 2005, सा.का.नि. 736 (अ), दिनांक 22 दिसम्बर, 2005, सा.का.नि. 639 (अ), दिनांक 13 अक्तूबर, 2006, सा.का.नि. 2 (अ), दिनांक 1 जनवरी, 2008, का.आ. 1661 (अ), दिनांक 13 जुलाई, 2010, का.आ. 739 (अ), दिनांक 11 अप्रैल, 2011, सा.का.नि. 470(अ), दिनांक 21 जून, 2011, सा.का.नि. 905(अ), दिनांक 28 दिसम्बर, 2011 और सा.का.नि. 426(अ), दिनांक 1 जुलाई, 2014 के द्वारा संशोधन किया जाता रहा है।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 5th February, 2015

G.S.R. 74 (E).- In exercise of the powers conferred by section 9, read with section 76 of the Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act, 1985 (61 of 1985), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Rules, 1985, namely:—

1. (1) These rules may be called the Narcotic Drugs and Psychotropic Substances (Amendment) Rules, 2015.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Rules, 1985, in Schedule I, under sub-heading II "Psychotropic Substances", for item 4 and entries relating thereto, the following shall be substituted, namely:—

"4.	Mephedrone	4-methylmethcathinone (4-MMC) 4-methylephedrone	(RS)-2-methylamino-1-(4-methylphenyl) propan-1-one
5.	Salts and preparations of above".		

[F. No. N/11011/2/2014-NC-II (2)]

SATYA NARAYANA DASH, Under Secy.

Note.- The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) vide number G.S.R.837(E), dated the 14th November, 1985 and subsequently amended vide notifications numbers S.O. 786 (E), dated the 26th October, 1992, S.O. 599 (E), dated the 10th August, 1993, G.S.R. 748 (E), dated the 14th December, 1993, G.S.R. 543, dated the 24th October, 1994, G.S.R. 82, dated the 14th February, 1995, G.S.R. 556 (E), dated the 14th July, 1995, G.S.R. 25 (E), dated the 12th January, 1996, G.S.R. 509 (E), dated the 4th November, 1996, G.S.R. 350 (E), dated the 25th June, 1997, G.S.R. 214 (E), dated the 19th March, 2002, G.S.R. 763 (E), dated 14th November, 2002, G.S.R. 115 (E), dated the 21st February, 2003, G.S.R. 129 (E), dated the 26th February, 2003, G.S.R. 217 (E), dated the 17th March, 2003, G.S.R. 95 (E), dated the 4th February, 2004, G.S.R. 104 (E), dated the 25th February, 2005, G.S.R. 736 (E), dated the 22nd December, 2005, G.S.R. 639 (E), dated the 13th October, 2006, G.S.R. 2 (E), dated the 1st January, 2008, S.O. 1661 (E), dated the 13th July, 2010, S.O. 739 (E), dated the 11th April, 2011, G.S.R. 470(E), dated 21st June, 2011, G.S.R. 905(E), dated 28th December, 2011 and G.S.R. 426(E), dated 1st July, 2014 .

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 288] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, फरवरी 5, 2015/माघ 16, 1936

No. 288] NEW DELHI, THURSDAY, FEBRUARY 5, 2015 /MAGHA 16, 1936

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 फरवरी, 2015

का.आ. 375 (अ). - स्वापक औषधि एवं मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 (1985 का 61) की धारा 2 के खण्ड (viiक) और (xxiiiक) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार एतद्द्वारा, भारत के राजपत्र, असाधारण के, भाग II, खंड 3, उपखण्ड (ii) में का.आ. 1055 (अ) के अंतर्गत दिनांक 16 अक्तूबर, 2001 को प्रकाशित भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग की अधिसूचना में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :-

उक्त अधिसूचना में, तालिका में क्रम सं. 238ड. और इससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात, निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियां, अंत: स्थापित की जाएंगी, अर्थात् :—

क्र.सं.	स्वापक औषधि और मन:प्रभावी पदार्थ का नाम (अंतर्राष्ट्रीय गैर-मालिकाना नाम)	अन्य गैर मालिकाना नाम	रासायनिक नाम	अल्प मात्रा (ग्राम में)	वाणिज्यिक मात्रा (ग्राम/ किग्रा में)
1	2	3	4	5	6
"238 च.	मिफिड्रोन	4- मिथाइल मेथकैथीनान (4-एमएमसी) 4-मिथाइल फिड्रोन	(आरएस)-2-मिथाइल लैमिनो-1- (4-मिथाइल फिनाइल) प्रोपैन-1- वन	2	50 ग्राम".

[फा.सं. एन-11011/2/2014-एनसी-II (3)]

सत्य नारायण दास, अवर सचिव

टिप्पणी : प्रधान अधिसूचना, भारत के राजपत्र, असाधारण के, भाग II, खंड 3, उपखण्ड (ii) में का.आ. संख्या 1055 (अ), के अंतर्गत दिनांक 19 अक्तूबर, 2001 को प्रकाशित किए गए थे और बाद में दिनांक 18 नवम्बर, 2009 की अधिसूचना संख्या 2941 (अ) और 21 जून, 2011 की अधिसूचना संख्या का.आ. 1430 (अ) के अंतर्गत संशोधित किए गए थे।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 5th February, 2015

S. O. 375 (E).— In exercise of the powers conferred by clauses (viia) and (xxiiia) of section 2 of the Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act, 1985 (61 of 1985), the Central Government hereby makes following amendment to the notification of the Government of India, Ministry of Finance, Department of Revenue, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), *vide* number S.O. 1055 (E), dated the 19th October, 2001, namely:—

In the said notification, in the Table, after serial number 238E and the entries relating thereto, the following serial number and the entries shall be inserted, namely:—

Sl No.	**Name of Narcotic Drug and Psychotropic Substance (International non-proprietary name)**	**Other non-proprietary name**	**Chemical Name**	**Small Quantity (in gm.)**	**Commercial Quantity (in gm./kg.)**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
"238F.	Mephedrone	4-methylmethcathinone (4-MMC) 4-methylephedrone	(RS)-2-methylamino-1-(4-methylphenyl) propan-1-one	2	50 gm.".

[F. No. N-11011/2/2014-NC-II (3)]

SATYA NARAYANA DASH, Under Secy.

Note.- The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), vide number S.O. 1055 (E), dated the 19th October, 2001 and subsequently amended by notification number S.O. 2941 (E), dated the 18th November, 2009 and S.O. 1430 (E) dated 21st June, 2011.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.